न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 275/2024

प्रार्थीया :-

1. शर्मिला टाक पत्नी विजेन्द्र कुमार टाक जाति (टाक) कलाल, निवासी ग्राम लसाणी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द हालनिवास No.791, Padmavathi Nivas, Hesarghatta Main Road, Bangalore, Karnataka, 560088

बनाम

अप्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 08/01/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर, पटवार हल्का खारिया मीठापुर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की खातेदारीसुदा, कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 795/3 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1115 पर प्रार्थीया के नाम दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध मे प्रार्थीया के खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक के स्थान पर शर्मिली पत्नी विजेन्द्र दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीया व उसके पति का सही एवं वास्तविक नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक है। जिसके सबूत प्रार्थी के आधारकार्ड, प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, प्रार्थीया के सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा हेसारगट्टा बैंगलोर की प्रतियाँ साथ संलग्न पेश है। जिसमें प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का सही नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक दर्ज है। प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत नाम शर्मिली पत्नी विजेन्द्र दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजों की जाँच नहीं की गयी व न ही प्रार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। जबकि प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का सही नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक दर्ज है। इसलिए प्रार्थीया को अपना गलत नाम शर्मिली पत्नी विजेन्द्र के स्थान पर सही नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर सुधार कार्य व अपनी घरेलु आवश्यकता हेतु रूपयों की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

आवश्यकता होने से ऋण प्राप्ति हेतु वर्तमान जमाबन्दी की प्रतिलिपि लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गयी तथा हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो प्रार्थीया को जानकारी में आया कि प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शर्मिली पत्नी विजेन्द्र दर्ज है जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी को राजस्व रेकर्ड व अपने सरकारी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों दी तथा उपरोक्तानुसार नाम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीया को यह कहते हुए नाम शुद्ध करने से मना कर दिया कि इस हेतु माननीय न्यायालय सक्षम है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीया उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण वगैरा नही ले सकती है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम शर्मिली पत्नी विजेन्द्र के स्थान पर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का सही नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक दर्ज किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 795/3 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, वाके ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का गलत नाम शर्मिली पत्नी विजेन्द्र के स्थान पर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के सरकारी दस्तावेज अनुसार इनका सही नाम शर्मिला टाक पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार टाक दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 795/3 रकबा 0.1133 हैक्टयर किस्म चाही चतुर्थ ग्राम खारिया मीठापुर पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा में आई हुई है, जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि है। पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीया व उसके पति का नाम शर्मिला टाक पत्नी विजेन्द्र कुमार टाक के स्थान पर शर्मिला टाक पत्नि विजेन्द्र कुमार टाक है। प्रार्थीया द्वारा सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, परिवार कार्ड, पासबुक इत्यादि प्रस्तुत कर अपना सही नाम शर्मिला टाक पत्नी विजेन्द्र कुमार टाक होना बताया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 795/3 रकबा 0.1133 हैक्टयर किस्म चाही पंचम ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के सरकारी दस्तावेज अनुसार इनका सही नाम शर्मिला टाक पत्नी विजेन्द्र कुमार टाक किये जाने में भूमिधारी की सहमति है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया आदि में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का नाम शर्मिला टाक पत्नी विजेन्द्र कुमार टाक दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का नाम शर्मिली पत्नी विजेन्द्र दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 795/3 रकबा 0.1133 हैक्टयर में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का नाम सरकारी दस्तावेजात के अनुसार शर्मिला टाक पत्नी विजेन्द्र कुमार टाक नाम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 05/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा